न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 23 / 2016

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मुलचन्द पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बागोर तहसील उदयपुरवाटी जिल झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अ. धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
बखिलाफ आदेशजिला कलेक्टर झुंझुनू
दिनांक 20.08.2015 प्रकरण सं.12:3:59
राज / 14 / अ.धारा 92 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. श्री मदन सिंह गिल अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

–निर्णय–

दिनांकः–24.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा प्रकरण संख्या प.12.3.59.राज/2014/अन्तर्गत धारा 92 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 20.08.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत बागौरा की भूमि खसरा नम्बर 171,172 किस्म गैर मुमकिन पहाड़ मे से 1.12 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत बागौरा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (सरकारी विभागो) हेतु आरक्षित किये इसके विरूद्व अपीलांट ने यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट विवादित भूमि में मकान बनाकर आबाद है अपीलांट को विचाराधीन आदेश की जानकारी नही थी। विवादित भूमि के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद एवं टी.आई. प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश है अपीलांट को विचारण न्यायालय ने सुना नही है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2016 (1) पेज 82 आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 285 आर.आर.डी 1986 पेज 526 एवं आर.आर. डी 2018 पेज 479 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 171 की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है अपीलांट खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की तोड़फोड़ नही करने एवं मौके की स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया है इसमें विवादित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने पर कोई स्थगन नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ लिया गया है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विवादित भूमि खसरा नम्बर 171 की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है विचाराधीन निर्णय से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित की गई है। सिविल न्यायालय द्वारा केवल मात्र मौके की यथास्थिति के आदेश पारित है अपीलांट ने अपील धारा 96 के आवेदन के बिना प्रस्तुत कर दी है जो विधि अनुसार चलने योग्य नही है क्योकि अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर